-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 03.12.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **थाना नरैनी पुलिस द्वारा अवैध तमंचे के साथ भ्रमण कर रहे अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा व कारतूस बरामद।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा अवैध शस्त्रों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में थाना नरैनी पुलिस द्वारा अवैध तमंचे के साथ भ्रमण कर रहे अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब हो कि आज दिनांक 03.12.2025 को थाना नरैनी पुलिस द्वारा गश्त एवं चेकिंग के दौरान सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति अतर्रा रोड वशीर भवन कस्बा नरैनी के पास संदिग्ध रुप से भ्रमण कर रहा है। सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर जाकर व्यक्ति को पकड़कर तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से अवैध तमंचा व कारतूस बरामद हुए।

बरामदगी-

- 01 अवैध तमंचा 315 बोर
- 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. सौरभ पुत्र नरेन्द्र निवासी मोतियारी थाना नरैनी जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0- 381/25 धारा 9/25 आर्म्स एक्ट थाना नरैनी जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. श्री संदीप कुमार तिवारी प्रभारी निरीक्षक थाना नरैनी
2. उ0नि0 श्री कल्बे अब्बास खाँ
3. हे0 कां0 नागेश कुमार
4. कां0 सुनील कुमार